विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 22 जनवरी, 2015

संख्याः एल0एल0आर0–डी0(6)–18/2014–लेज.––हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 20–01–2015 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) विधेयक, 2014 (2014 का विधेयक संख्यांक 9) को वर्ष 2015 के अधिनियम संख्यांक 4 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई–राजपत्र में प्रकाशित करती हैं।

आदेश द्वारा,
(देवेन्द्र कुमार शर्मा)
प्रधान सचिव (विधि)।

2015 का अधिनियम संख्यांक 4

हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) विधेयक, 2014

(राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 20 जनवरी, 2015 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस अधिनियम, 1968 (1968 का अधिनियम संख्यांक 8) का और संशोधन करने के लिए **अधिनियम** ।

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**–– (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) अधिनियम, 2014 है।

(2) यह 14 अक्तूबर, 2014 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. **धारा 34 का प्रतिस्थापन.**––हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस अधिनियम, 1968 की धारा 34 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्ः–

> **"34. स्टांपों द्वारा या ई–फाइलिंग प्रणाली द्वारा फीस का संग्रहण.**–धारा 3 में निर्दिष्ट या इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य समस्त फीस, स्टांपों द्वारा या ई–फाइलिंग प्रणाली के माध्यम से, ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, संगृहीत की जाएगी।"।

3. **2014 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 6 का निरसन और व्यावृत्तियाँ.**–– (1)हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) अध्यादेश, 2014 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

————————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 4 of 2015

THE HIMACHAL PRADESH COURT FEES (AMENDMENT) ACT, 2014

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 20TH JANUARY, 2015)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Court Fees Act,1968 (Act No. 8 of 1968).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-fifth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commnecement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Court Fees (Amendment) Act, 2014.

(2) It shall be deemed to have come into force on 14th day of October, 2014.

2. Substitution of section 34.—For section 34 of the Himachal Pradesh Court Fees Act, 1968, the following section shall be substituted, namely:-

"34. Collection of fees by stamps or by e-filing system.—All fees referred to in section 3 or chargeable under this Act shall be collected by stamps or by way of e-filing system in the manner as may be prescribed." .

3. Repeal of H.P. Ordinance No. 6 of 2014 and savings.—(1) The Himachal Pradesh Court Fees (Amendment) Ordinance, 2014 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.